



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 17-2025] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 29, 2025 (VAISAKHA 9, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पशुपालन तथा डेयरी विभाग

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल, 2025

संख्या 2676(सी०एफ०एम०एस०)-प०पा०-4-2025/2237.- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, पशुपालन तथा डेयरी विभाग, आदेश संख्या 1305(CFMS)-प०पा०-4-2022/2886, दिनांक 26 मई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:

संशोधन

हरियाणा सरकार, पशुपालन तथा डेयरी विभाग, आदेश संख्या 1305(CFMS)-प०पा०-4-2022/2886, दिनांक 26 मई, 2022 में, खाना 1,2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 5 और उसके सामने विद्यान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	जिला	रूग्णावास
1	2	3
"5.	फतेहाबाद	राजकीय पशु चिकित्सालय, बड़ोपल"।

विजय सिंह दहिया,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन तथा डेयरी विभाग।